



आवंटियों को आगामी किश्तों की धनराशि एकमुश्त जमा करने पर सुनहरा ऑफर

परिषद योजनाओं के आवंटी यदि अपनी आगामी अवशेष समस्त किश्तों की धनराशि एक मुश्त (30 दिन के अन्दर) जमा करना चाहते हैं उदाहरणार्थ अगर आवंटी को 120 किश्तों पर सम्पत्ति आवंटित है और वह 50 किश्तें जमा कर चुका है और अब अवशेष 70 किश्तें एक साथ जमा करना चाहता है तो उन्हें निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी :-

1. आगामी देय समस्त किश्तों में शामिल साधारण ब्याज नहीं देना होगा।
2. जमा योग्य मूल धनराशि में से दो प्रतिशत (2%) अतिरिक्त छूट भी देय होगी।

यह सुविधा आवंटी को एक ही बार अनुमन्य होगी।

आवास आयुक्त